राजस्व वाद संख्याः–20/2025
घर्मपाल बनाम शशि देवी वगै0
निर्णय दिनांकः– 18.07.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 20/2025

धर्मपाल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

01. शशी देवी पत्नि अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी गौरखपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी श्योसिंहपुरा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>
<u>निर्णय</u>

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का डुलानिया तहसील पिलानी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 170 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 1.23 हैक्टर आवेदक की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। तथा काबिज काश्तकार व मकान बनाकर आबाद है।

यह कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 170 रकबा 1.23 हैक्टर के उत्तर दिशा में अप्रार्थी नम्बर 01 की भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि स्थित है तथा अनावेदक काबिज काश्तकार है।

खसरा नम्बर 170 रकबा 1.23 हैक्टर आवेदक की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। तथा काबिज काश्तकार हैं। आवेदक व अनावेदक संख्या 01 अपनी अपनी भूमि में अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है।

आवेदक को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 170 रकबा 1.23 हैक्टर में उंट गाडा, मवेशी ट्रैक्टर व कृषि कार्य हेतु अन्य वाहन लाने–ले जाने के लिये अनावेदक संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 2.80 हैक्टर में से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क ए. से बी दर्शित किया गया है। रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि आवेदक के पास अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 170 रकबा 123 हैक्टर की कृषि भूमि में आने जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शित रास्ते से आवेदक अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 170 में जाने के लिये अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। आवेदक को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये आवेदक को अनावेदक संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 2.80 हैक्टर में से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार मार्क ए से बी रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि आवेदक उक्त रास्ते बाबत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि या बदले की जमीन देने को तैयार है इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है।

यह कि नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का एक भाग है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—20 / 2025
घर्मपाल बनाम शशि देवी वगै0
निर्णय दिनांकः— 18.07.2025

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0 / 25 / 1523 दिनांक 02.07.2025 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट भू0अ0 / 25 / 1523 दिनांक 02.07.2025 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 170 मौजा श्योसिंहपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 159 में से बिन्दु ए से बी तक कुल दुरी 122 मीटर लंबाई एवं 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 488 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 122 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट भू0अ0 / 25 / 1523 दिनांक 02.07.2025 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 170 मौजा श्योसिंहपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 159 में से बिन्दु ए से बी तक कुल दुरी 122 मीटर लंबाई एवं 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 488 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 122 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़